न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 55/2017

बलविन्द्रसिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति नाई सिख निवासी 3 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

1. निन्दरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह
2. बलजिन्द्रसिंह पुत्र प्रीतमसिंह
3. सुरजीतसिंह पुत्र प्रीतमसिंह
4. कलविन्द्रकौर पुत्री प्रीतमसिंह
5. बलजीतकौर पुत्री प्रीतमसिंह

निवासी 4 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

6. सरवनकौर पुत्री बेलासिंह निवासी 4 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. महेन्द्रसिंह पुत्र बख्तसिंह जाति अरोडा सिख निवासी 4 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. छिन्दासिंह पुत्र गुरबक्शसिंह
9. गुरचरणसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह
10. छकिन्द्रसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह
11. चरणजीत कौर पुत्री गुरबक्शसिंह
12. अंग्रेज कौर पुत्री गुरबक्शसिंह
13. जसवीर कौर पुत्री गुरबक्शसिंह

जाति नाई सिख निवासी चक 3 जी.बी तह0 श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

14. गुरेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति अरोडा सिख निवासी 4 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
15. जयसिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति नाई सिख निवासी 4 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

18/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर। --रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध आदेश

उपखंड अधिकारी श्रीविजयगनगर दिनांक 03.12.2015

उपस्थितः--

श्री अवतारसिंह बराड अभिभाषक अपीलार्थी

श्री तेजासिंह अभिभाषक रेस्पो.

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 18.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 1 व जयसिंह ने उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष एक प्रा.पत्र राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के तहत पेश कर चक 4 जी.बी. के मु.नं. 25 के कि.नं. 5 तक आ रही सड़क से मु.नं. 25 के कि.नं. 5 से 1 में पूर्व से पश्चिम एवं कि.नं. 10 में उत्तर से दक्षिण तक पत्थर लाईन के साथ-साथ रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1 से 4 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 03.12.2015 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि दिलवाने के आदेश दिये हैं। अपीलांट प्रार्थीगण का रकबा चिपता हुआ नहीं है इसलिए भूमि नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में रकम दिये जाने का आदेश पारित न कर अधी. न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अतः अपीलाधीन आदेश में संशोधन कर मु.नं. 25 प.नं. 130/378 के कि.नं. 1 से 5 व 1 से 10 तक की कूट तक रास्ता स्वीकृत के बदले राशि जमा करवाकर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश

18/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दिये जावे। अपीलाधीन आदेश पेश करने की कानूनी राय मिलने पर वकील से सम्पर्क कर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में किया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की उपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। रेस्पों. ने मियाद अधि. की धारा 5 का जबाब पेश कर कथन किया कि अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। इसके अलावा कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 03.12.2015 के विरूद्ध दिनांक 31.03.2017 को पेश की है जिसके मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उसका जबाब वकील रेस्पों. ने पेश कर खण्डन किया है। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर निर्णित करना उचित समझते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में माफ करना उचित समझते हैं। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 03.12.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसमें रास्ता स्वीकृत किया गया है। परन्तु रास्ता की भूमि के बदले मुआवजा का सही विवेचन नहीं किया है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय के निर्णय की पालना बाबत जारी तहरीर कमांक 2016/3633 दिनांक 15.01.2016 महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा उप तहसीलदार जैतसर को निर्देश जारी किये हैं कि मुकदमा अनवानी बलविन्द्रसिंह आदि बनाम निन्दरसिंह आदि अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. में इस न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक

18/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

03.12.2015 में रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि अप्रार्थी की भूमि से चिपती हुई भूमि चक 4 जी.बी. का मु.नं. 25 कि.नं. 9 में से देने हेतु प्रार्थी सहमत है। अतः निर्णय की पालना में अप्रार्थी महेन्द्रसिंह को प्रार्थी की चिपती हुई भूमि कि.नं. 9 से रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं परन्तु इस आदेश पर यह टिप्पणी अंकित है कि श्रीमान जी निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा जिस रकबे में से रास्ते बदले में भूमि देने का निवेदन किया है वह भूमि प्रार्थी स्वयं के नाम न होकर भाईयों के नाम मुश्तर्का रकबा में दर्ज है। यथासम्भव यह टिप्पणी पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया जाना प्रतीत होती है जिसका सार है कि अधी. न्यायालय द्वारा रास्ता के बदले मुआवजा निर्धारण सही नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2015 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 251ए व इसकी कियान्विति हेतु बने नियमों के निर्देशानुसार रास्ते की आवश्यकता एवं नियमों में वर्णित मुआवजा विनिश्चय कर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/1/18

(प्रभाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर